



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 16, शुक्रवार, शाके 1936-जून 6, 2014
Jyaistha 16, Friday, Saka 1936-June 6, 2014

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 06, 2014

एस.ओ. 17 :- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम सं. 27) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित परीक्षाओं पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू किये जाने आवश्यक हैं, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

“6. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।”

[संख्या एफ. 3(33) एजु./3/85/II]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. वेंकट रमणी,

संयुक्त शासन सचिव।

EDUCATION (GR. IV) DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, June 06, 2014

S.O. 17:- In exercise of the powers conferred by section 8 of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 (Act No. 27 of 1992), the State Government being of the opinion that it is necessary to apply the provisions of said Act to examinations conducted by the Rajasthan High Court, hereby

19(2) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2014 भाग 4 (ग)

makes the following amendment in Schedule appended to the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule appended to the said Act, after the existing serial number 5 and entries thereto, the following new serial number and entries thereto shall be added, namely:-

"6. Any examination conducted by the Rajasthan High Court."

[No. F. 3 (33) Edu./3/85/II]

By order of the Governor,

डॉ. वैकट रमणी,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur